काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
**INSTITUTE OF WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY**
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
(Indian Council of Forestry Research and Education)
(भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय।)
(An Autonomous Body of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India
**पी .ओ.मल्लेश्वरम/P.O. Malleswaram, बेंगलुरु/Bengaluru – 560 003**

**सं/No:** 1-68/2025-26/IWST/Estt/३६०८ **दिनांक/Dated:** 05/11/2026

**ORDER**

**Sub:** **Disciplinary proceedings under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965 against Shri Sunil Kumar Yadav, Forest Guard, ICFRE-Institute of Wood Science and Technology, Bengaluru.**

**Ref:**
1. Memorandum No. 1-68/2025-26/IWST/Estt./3825 dated 26.02.2026 (Articles of Charge, Annexures I to IV).
2. Memorandum No. 1-68/2025-26/IWST/Estt./439 dated 12.05.2026 ordering inquiry, and Orders No. 1-68/2025-26/IWST/Estt./487 and 486 dated 18.05.2026 appointing the Inquiring Authority and the Presenting Officer.
3. Inquiry Report dated 29.09.2026 forwarded vide letter No. 16-297/2026-27/ICFRE-IWST/ EXTN/I-1/512/2213 dated 29.09.2026.
4. Letter No. 1-68/2025-26/IWST/Estt/2301, dated 06.10.2026 forwarding the Inquiry Report to the Charged Official.

***

**BACKGROUND**

1. WHEREAS, Shri Sunil Kumar Yadav (hereinafter referred as "the Charged Official" or "CO") was appointed as Forest Guard (FG) at ICFRE-IWST, Bengaluru, vide offer of appointment No. 1-12/2023-24/IWST/Estt./1110 dated 21.07.2023 (Ex. 9) and joined on 05.09.2023 (Ex. 10). The recruitment was made under Common Recruitment Notification No. 1-11/2019-20/IWST/Estt./5561 dated 10.02.2022 (Ex. 3), and the written examination was held on 22.01.2023.

2. AND WHEREAS, the Secretary, ICFRE, vide letters No. 63-31/2016-ICFRE PT II dated 07.08.2025 and 09.10.2025 (Ex. 1 and Ex. 2), directed verification of the documents of recently recruited employees in the context of impersonation in the recruitment examination. In the course of the verification carried out by officials of this Institute at the direction of the Director and Appointing and Disciplinary Authority (DA), discrepancies were noticed in the handwriting and signature of the CO. The CCTV footage of the examination hall also indicated apparent differences in facial features of the CO and the person who attended the written examination. The relevant documents were placed before the DA who, finding a prima facie case, caused the questioned documents (Question and Answer Booklet, rough sheets and attendance sheet of the examination of 22.01.2023) and the standard documents (the CO's joining letter, declaration, and the specimens obtained in the Handwriting and Signature Specimen Collection Exercise, "HSSCE") to be sent to the State Forensic Science Laboratory (SFSL), Bengaluru, for expert scientific opinion. The SFSL, in its Report No. FSL/FLMS/QD/519/2025 dated 10.12.2025 (Ex. 17), opined that the questioned and standard documents were written by two different persons.

3. AND WHEREAS, the DA, finding a prima facie case on the SFSL report and the documents verified, initiated proceedings under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965 vide Memorandum No. 1-68/2025-26/IWST/Estt./3825 dated 26.02.2026, containing the following Article of Charge, reproduced as issued:

*"Article-I: That the said Shri Sunil Kumar Yadav, while a candidate for the post of Forest Guard (FG), committed a grave act of impersonation and fraud in the written examination held on 22.01.2023, by procuring an impersonator to write the said examination on his behalf and thereby securing government employment at ICFRE-IWST through fraudulent means. By obtaining appointment through such deceptive conduct, Shri Sunil Kumar Yadav failed to maintain absolute integrity; furthermore, his very entry into the service, which he is presently holding, is fundamentally fraudulent and he has acted in a manner highly unbecoming of a Government servant, thereby violating Rule 3(1)(i), Rule 3(1)(ii), Rule 3(1)(iii), Rule 3(1)(vi) and Rule 3(1)(xviii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964."*

AND WHEREAS, the Memorandum was accompanied by the Statement of Imputations (Annexure II), the list of 17 documents (Annexure III), including the SFSL Report (Ex. 17), and the list of three testifiers (Annexure IV; hereinafter referred to as witnesses). On 02.03.2026 it was sent to the CO by speed post to (i) Village-Dejpur, P.O. Faridpur, P.S. Hussainganj, District-Siwan, Bihar-841231 (ii) Gottipura Field Station, ICFRE-IWST, Bengaluru Rural-562114, and by e-mail, from the Director's e-mail ID (dir_iwst@icfre.org), to skyadav@icfre.org and sy9102174411@gmail.com. Both speed-post letters were returned undelivered, as shown by the postal tracking report; no e-mail delivery failure was reported. The CO was directed to submit a written statement of defence within 15 days and to state whether he desired to be heard in person, and was informed that the inquiry might be held *ex parte* under Rule 14(20) if he failed to comply with Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965. The CO was also directed to collect all the relied upon documents and the CCTV footage from this office, but he did not come to collect them. The DA therefore sent all the relied upon documents and excerpts of the CCTV footage to the CO vide letter No. 1-68/2025-26/IWST/Estt./4146 dated 26-03-2026, by speed post to his Bihar address and by e-mail dated 26-03-2026. However, the CO failed to submit any written statement of defence within the prescribed time frame.

**DEFENCE OF THE CHARGED OFFICIAL**

4. The CO did not submit any written statement of defence in response to the Charged Memorandum issued by the Disciplinary Authority, despite the original period allowed and the final extension communicated on 26-03-2026.

**CONDUCT OF THE INQUIRY AND INQUIRY REPORT**

5. AND WHEREAS, the Disciplinary Authority having taken serious note of the continued non-compliance, concluded that Shri. Sunil Kumar Yadav has no defence to offer in the matter. Accordingly, it was decided to proceed Ex-Parte against Shri. Sunil Kumar Yadav and ordered an inquiry under Rule 14 of CCS(CCA) Rules,1965, vide Memorandum dated 12.05.2026. Dr. N. Palanikanth, IFS, Head, Extension Division, was appointed Inquiring Authority (IA) and Shri Prakash V Presenting Officer (PO) vide Orders dated 18.05.2026.
6. AND WHEREAS, notices for the hearings fixed on 12.06.2026, 23.06.2026 and 06.07.2026 were sent by Speed Post to the CO's addresses on record (hometown and Bengaluru) and by e-mail to skyadav@icfre.org and sy9102174411@gmail.com, none of which was reported undelivered, and informed him of his right to take the assistance of a defence assistant. The CO did not appear on any date and, by order dated 06.07.2026, the IA proceeded ***ex parte*** under Rule 14(20). The IA then recorded the evidence, notice of each date having been sent to the CO, and the department's case was presented through Exhibits 1 to 18 and the depositions of three witnesses (Dr. H.R. Prabuddha, IFS, Head of Office; Smt. T. Vijayakumari, Section Officer, and Smt. Srilatha A, Assistant, Establishment Section), as listed in para 5 of the Inquiry Report. The SFSL Report (Ex. 17) was among the documents supplied to the CO, and he never asked for its author to be examined.

7. AND WHEREAS, even after proceeding *ex parte*, the IA gave the CO further opportunities. Rule 14(18) requires the Inquiring Authority, where the Government servant has not examined himself, to question him generally on the circumstances appearing against him in the evidence, so that he can explain them; this safeguard is not dispensed with by an *ex parte* order, and it is meant to give the charged official a last chance to answer the evidence recorded against him. Accordingly, a general examination under Rule 14(18) was fixed on 24.08.2026, which the CO did not attend, and his non-appearance was recorded. The IA then allowed seven days from 24.08.2026 to submit his written brief on the evidence and on the PO's Written Brief dated 28.07.2026 (copy sent to the CO on 29.07.2026), as provided in Rule 14(19). By communication dated 31.08.2026, he was also given a last and final seven days to inspect the documents, produce documents and witnesses, explain the circumstances against him and reply to the PO's brief. The CO gave no response within the stipulated time. The IA then treated the inquiry as concluded and submitted his report on 29.09.2026 under Rule 14(23).

8. AND WHEREAS, the IA found, on the preponderance of probabilities, that: (i) Roll No. IWST/FG/243 was the CO's candidature and its result led to his selection and appointment as Forest Guard; (ii) the joining documents and HSSCE specimens are reliable standard writings of the CO; (iii) the SFSL found the writings in the examination records and the standard writings to be by different persons, the differences being fundamental and beyond natural variation or intended disguise; (iv) the CCTV evidence corroborates this; and (v) the defence on record does not displace this evidence. The IA recorded that the CO's non-participation was not treated as an admission or as proof, and held the Article of Charge **PROVED**.

9. AND WHEREAS, a copy of the Inquiry Report was sent to the CO vide letter No. 1-68/2025-26/IWST/Estt/2301 dated 06.10.2026, with an opportunity to submit a representation within 15 days. The letter was sent by Speed Post to Village Dejpur, P.O. Faridpur, P.S. Hussainganj, District Siwan, Bihar-841231and, on 06-10-2026, by email from the Director's e-mail ID (dir_iwst@icfre.org) to skyadav@icfre.org and sy9102174411@gmail.com. No e-mail delivery failure was reported. As per the postal tracking report dated 19-10-2026, it is understood that the addressee is absent for enquiry and no such person in the address. The Speed Post article was returned undelivered to the Bihar address. Reckoned from the date of the consignment [07-10-2026], the period of 15 days expired on 21-10-2026. No representation was received from the CO within that period or thereafter up to the date of this order, and no request for extension of time was made.

**CONSIDERATION BY THE DISCIPLINARY AUTHORITY**

10. AND WHEREAS, the Disciplinary Authority have gone through the Memorandum and its Annexures, the order sheets and proceedings of the inquiry, the exhibits and depositions, the PO's Written Brief, and the Inquiry Report. The DA has applied his mind to the material and have not merely adopted the IA's conclusions. The assessment of DA is as follows:

10.1. **Compliance with procedure:** The DA found that the Memorandum with all Annexures was served on the CO, and that the documents listed in Annexure III were made available to him; that notices of the inquiry were sent to every address in the official records and by email to skyadav@icfre.org and sy9102174411@gmail.com, that proceeding *ex parte* after repeated non-appearance was within Rule 14(20), the IA tested the evidence on its merits and recorded reasons that the CO was given further opportunities after the evidence was recorded (examination under Rule 14(18), a written brief, and a last and final opportunity to inspect documents, produce documents and witnesses and explain the circumstances) and, thereafter, a copy of the Inquiry Report was sent to the CO with 15 days' time to represent, and CO availed none of the opportunities provided to him; and that the principles of natural justice have been observed and no prejudice to him is shown.

10.2. **Assessment of the evidence:** The proceedings are departmental and not a criminal trial. The strict rules of evidence do not apply, and the test is whether the finding rests on reliable evidence and is not based on mere suspicion, applying the standard of preponderance of probabilities.

10.3. **Link between the CO, the candidature and the appointment:** The recruitment notification (Ex. 3), the result sheet (Ex. 4), the offer of appointment (Ex. 9), the joining letter (Ex. 10) and the Declaration (Ex. 11) form an unbroken chain showing that the result against Roll No. IWST/FG/243 led to the CO's selection and appointment as Forest Guard.

10.4. **Standard writings:** The joining letter and Declaration given by the CO at the time of joining to the service are independent of the HSSCE specimens. The HSSCE specimens were collected under the orders at Ex. 5 after the CO was directed to report to the Head of Office (Ex. 6), and the Head of Office deposed on the procedure followed. Upon submission of these documents to SFSL, the SFSL found that the HSSCE writings and the joining-stage writings (joining letter and undertaking) were by one and the same person. That agreement between documents produced at different times and in different circumstances gives the standard set a firm basis, and nothing was produced to suggest that these writings are not the CO's.

10.5. **Questioned writings**: The attendance sheet, Question and Answer Booklet and rough sheets for Roll No. IWST/FG/243 are official records of the examination. The SFSL found them to be by one person, and that person to be different from the author of the standard writings, with differences *"fundamental in nature and they are beyond the range of natural variation and intended disguise"*. The opinion is reasoned, is based on comparison of the entire relevant set of documents. The SFSL Report was supplied to the CO, who never asked for its author to be examined, though he was given the opportunity to produce documents and witnesses.

10.6. **CCTV evidence:** The footage of Examination Hall No. LHC209 (Ex. 15) was produced with the certificate under Section 63(4) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, signed by the custodian of the hard disk and an expert. The evidence of the Section Officer and the Assistant shows that the hard disk was obtained from the examination centre, kept in official custody and copied to Ex. 15, and no tampering or alteration was suggested. The IA viewed the footage and, on assessment of the material produced in the inquiry, inferred – 'the CCTV evidence is consistent with, and corroborates, the forensic conclusion that the person who participated in the examination process against the relevant candidature was different from Shri Sunil Kumar Yadav'. The DA agrees with this assessment of the IA. The DA treats the footage as corroboration of the forensic finding, and not as the sole basis of the finding.

10.7. **Cumulative effect:** The candidature belongs to the CO; the result of that candidature gave him the job; the examination writings were made by a person other than the CO, as found by the forensic expert; and the CCTV and photography evidence corroborates that finding. These circumstances are consistent with each other and point in one direction. On the preponderance of probabilities, the DA is satisfied that a person other than the CO appeared in and wrote the examination of 22.01.2023 against Roll No. IWST/FG/243. No material produced by the CO displaces this evidence, and the benefit of the selection accrued to him alone. The DA therefore draws the inference that the impersonator was procured by the CO. As stated in the Article of Charge, his entry into the service on the strength of that selection is fraudulent, and he has retained the benefit of it. **The DA holds the charge against the CO proved.**

11. **Consideration of the CO's contentions:**

AND WHEREAS, the DA got it verified that the CO has not submitted his written statement of defence within the period stipulated in the Charge Memorandum. The CO has used none of the opportunities provided to him during the entire course of inquiry.

12. **Findings of DA:**

AND WHEREAS, the disciplinary Authority has no disagreement with the findings of the Inquiring Authority, which rest on evidence on record and are not perverse. The DA has made independent assessment and found that **Article I of the Charge stands PROVED**, namely that the CO procured an impersonator to write the recruitment examination held on 22.01.2023 and secured appointment as Forest Guard at ICFRE-IWST on the strength of the result so obtained. By this conduct the CO has failed to maintain absolute integrity and has acted in a manner unbecoming of a Government servant, in violation of Rules 3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(iii), 3(1)(vi) and 3(1)(xviii) of the CCS (Conduct Rules, 1964.

AND WHEREAS, it is noted that paragraph 2 of the Inquiry Report, in summarizing the Article of Charge, lists Rules 3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(vi) and 3(1)(xviii) and omits Rule 3(1)(iii), which is in the Memorandum. The omission is inadvertent. The IA's final finding is that the misconduct alleged in the Article of Charge, is proved, and that the CO thereby failed to comply with the provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964 specified in the Memorandum, which include Rule 3(1)(iii). The omission is only in the summary of the charge in the report. The IA's finding applies to all the rules cited in the Memorandum, including Rule 3(1)(iii), which the CO knew from the Memorandum. The omission therefore does not change the IA's finding, and the DA's agreement with that finding covers Rule 3(1)(iii) as well.

**PENALTY**

13. AND WHEREAS, the misconduct proved is of the serious kind. The CO obtained public employment by having another person write a competitive examination for him. This defrauded the recruitment process, denied a fair opportunity to honest candidates, and betrayed the trust that the Government places in every person it appoints. Integrity is the foundation of public service, and where entry into service is itself fraudulent, the employee's continuation cannot be reconciled with the rules of conduct or with public interest. A fraudulent appointment cannot be regularized by the passage of time or by satisfactory service, and it would be against public interest to retain a person who is in service on the basis of a fraud.

14. AND WHEREAS, the Disciplinary Authority has considered the CO's service record. Keeping in view the gravity of the proved misconduct, and applying the test of proportionality (*B.C. Chaturvedi v. Union of India*, (1995) 6 SCC 749), The Disciplinary Authority is of the considered view that a lesser penalty would be wholly inadequate, and that the penalty of **dismissal from service** is called for. Under Rule 15(4) of the CCS (CCA) Rules, 1965 it is not necessary to give the CO a further opportunity to represent on the penalty.

**ORDER**

15. **NOW, THEREFORE,** the Disciplinary Authority and Director, ICFRE-Institute of Wood Science and Technology, Bengaluru, being the competent under the CCS (CCA) Rules, 1965 as applicable to ICFRE through delegated power as per First meeting of Board of Governors, dated 24-7-1991, Notification No. 58-21/55/2017-ICFRE, dated 25-1-2018, in exercise of the powers under Rules 11(ix) and 15 of the said Rules, hereby impose on **Shri Sunil Kumar Yadav, Forest Guard, the penalty of DISMISSAL FROM SERVICE**, which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government, **with effect from the date of issue of this order**.

The CO has been under suspension since **19.01.2026**. In view of the dismissal, **the period of suspension shall not be treated as duty.** Any other dues payable to the CO shall be settled by the Accounts Section as per rules, subject to adjustment of any amount due to the Institute.

This order is without prejudice to any other action, including recovery of amounts or criminal proceedings, that the Institute or ICFRE may take under law.

The CO may, if aggrieved, prefer an appeal against this order to the Director General, ICFRE, within **45 days** of its receipt, in accordance with Part V (Appeals of the CCS (CCA) Rules, 1965.

Director and Disciplinary Authority 05/11/26
ICFRE-Institute of Wood Science and Technology, Bengaluru

Encl: Appendix.

**To,**

a) Shri Sunil Kumar Yadav, Forest Guard, Vill.- Dejpur, P.O. Faridpur, P.S. Hussainganj, District-Siwan, Bihar-841231.

b) E-mail IDs skyadav@icfre.org ; sy9102174411@gmail.com.

**Copy to:**

(1) Director General, ICFRE, Dehradun and Appellate Authority.
(2) Secretary ICFRE, Dehradun.
(3) Chief Vigilance Officer, ICFRE, Dehradun.
(4) Dr. N. Palanikanth, IFS, Inquiring Authority, ICFRE-IWST, Bengaluru.
(5) Shri Prakash. V, Presenting Officer, ICFRE-IWST, Bengaluru.
(6) Head of Office / Establishment Section, ICFRE-IWST, Bengaluru.
(7) Accounts Section
(8) Personal file of Shri. Sunil Kumar Yadav, Forest Guard.

**NOTE: It is intimated that if any discrepancy is found in Hindi version, the English version shall be considered as FINAL.**

## आदेश

**विषय:** श्री सुनील कुमार यादव, वन रक्षक (फॉरेस्ट गार्ड), ICFRE-इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु के विरुद्ध CCS (CCA) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही।

**संदर्भ:**

1. ज्ञापन संख्या 1-68/2025-26/IWST/Estt./3825, दिनांक 26.02.2026 (आरोप-पत्र, अनुबंध I से IV)।
2. जांच का आदेश देने वाला ज्ञापन संख्या 1-68/2025-26/IWST/Estt./439, दिनांक 12.05.2026; तथा जांच प्राधिकारी (Inquiring Authority) और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) की नियुक्ति संबंधी आदेश संख्या 1-68/2025-26/IWST/Estt./487 और 486, दिनांक 18.05.2026।
3. जांच रिपोर्ट, दिनांक 29.09.2026 (जो पत्र संख्या 16-297/2026-27/ICFRE-IWST/ EXTN/I-1/512/2213, दिनांक 29.09.2026 के माध्यम से भेजी गई)।
4. पत्र संख्या 1-68/2025-26/IWST/Estt/2301, दिनांक 06.10.2026, जिसके द्वारा जांच रिपोर्ट आरोपी अधिकारी (Charged Official) को भेजी गई।

***

**पृष्ठभूमि**

1. चूंकि, श्री सुनील कुमार यादव (जिन्हें आगे "आरोपित अधिकारी" या "CO" कहा गया है) को ICFRE-IWST, बेंगलुरु में वन रक्षक (FG) के पद पर नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति 21.07.2023 (प्रदर्श 9) के नियुक्ति प्रस्ताव संख्या 1-12/2023-24/IWST/Estt./1110 के माध्यम से और उन्होंने 05.09.2023 (प्रदर्श 10) को कार्यभार संभाला था। यह भर्ती 10.02.2022 (प्रदर्श 3) की सामान्य भर्ती अधिसूचना संख्या 1-11/2019-20/IWST/Estt./5561 के अंतर्गत की गई थी, और लिखित परीक्षा 22.01.2023 को आयोजित हुई थी।

2. और चूँकि, ICFRE के सचिव ने पत्र संख्या 63-31/2016-ICFRE PT II दिनांक 07.08.2025 और 09.10.2025; (Ex. 1 और Ex. 2) के माध्यम से, भर्ती परीक्षा में किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा देने (impersonation) के संदेह के चलते, हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों के दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश दिया था। निदेशक तथा नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकरण (DA) के निर्देश पर, इस संस्थान के अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान, संबंधित कर्मचारी (CO) की लिखावट और हस्ताक्षरों में विसंगतियां पाई गईं। परीक्षा हॉल के CCTV फुटेज से भी यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित कर्मचारी (CO) के चेहरे की बनावट और लिखित परीक्षा देने वाले व्यक्ति के चेहरे की बनावट में अंतर था। संबंधित दस्तावेजों को DA के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर, DA ने संदिग्ध दस्तावेजों (22.01.2023 की परीक्षा की प्रश्न-उत्तर पुस्तिका, रफ शीट और उपस्थिति पत्रक) तथा मानक दस्तावेजों (संबंधित कर्मचारी का जॉइनिंग लेटर, घोषणा, और 'हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर स्पेसिमेन कलेक्शन एक्सरसाइज' (HSSCE) के दौरान लिए गए नमूने) को विशेषज्ञ वैज्ञानिक राय के लिए राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (SFSL), बेंगलुरु भेजने का निर्देश दिया। SFSL ने अपनी रिपोर्ट संख्या FSL/FLMS/QD/519/2025, दिनांक 10.12.2025; (Ex. 17) में यह राय दी कि संदिग्ध दस्तावेज और मानक दस्तावेज दो अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा लिखे गए थे।

3. और चूँकि, DA ने SFSL रिपोर्ट और सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला (prima facie case) पाते हुए, CCS (CCA) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत कार्यवाही शुरू की है। इसके लिए 26.02.2026 को मेमोरेंडम संख्या 1-68/2025-26/IWST/Estt./3825 जारी किया गया, जिसमें आरोप का विवरण (Article of Charge) इस प्रकार दिया गया है:

"आरोप-I: यह कि उक्त श्री सुनील कुमार यादव ने, वन रक्षक (FG) के पद के उम्मीदवार रहते हुए, 22.01.2023 को आयोजित लिखित परीक्षा में प्रतिरूपण (impersonation) और धोखाधड़ी का गंभीर कृत्य किया। उन्होंने अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति (impersonator) से परीक्षा दिलवाई और इस प्रकार धोखाधड़ी के जरिए ICFRE-IWST में नौकरी प्राप्त की। इस तरह के कपटपूर्ण आचरण से नियुक्ति प्राप्त करके, श्री सुनील कुमार यादव पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहे; इसके अलावा, जिस सेवा में वे वर्तमान में कार्यरत हैं, उसमें उनका प्रवेश ही मूल रूप से धोखाधड़ीपूर्ण है।

उन्होंने ऐसा आचरण किया है जो सरकारी सेवक के लिए अत्यंत अशोभनीय है। इस प्रकार उन्होंने CCS (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(i), नियम 3(1)(ii), नियम 3(1)(iii), नियम 3(1)(vi) और नियम 3(1)(xviii) का उल्लंघन किया है।"

और चूँकि, मेमोरेंडम के साथ 'आरोपों का विवरण' (अनुलग्नक II), 17 दस्तावेजों की सूची (अनुलग्नक III - जिसमें SFSL रिपोर्ट (Ex. 17) शामिल है), और तीन गवाहों की सूची (अनुलग्नक IV) संलग्न थी। दिनांक 02.03.2026 को इसे CO (चार्ज्ड ऑफिसर) के पास स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया। ये पते थे: (i) ग्राम-देजपुर, डाकघर-फरीदपुर, थाना-हुसैनगंज, जिला-सीवान, बिहार-841231 और (ii) गोट्टीपुरा फील्ड स्टेशन, ICFRE-IWST, बेंगलुरु ग्रामीण-562114। साथ ही, निदेशक की ईमेल आईडी (dir_iwst@icfre.org) से skyadav@icfre.org और sy9102174411@gmail.com पर ईमेल भी भेजा गया। पोस्टल ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार, दोनों स्पीड पोस्ट पत्र बिना डिलीवर हुए वापस आ गए; जबकि ईमेल के मामले में कोई 'डिलीवरी फेलियर' (ईमेल न पहुँचने की सूचना) नहीं मिली। CO को 15 दिनों के भीतर अपना लिखित बचाव पक्ष (written statement of defence) जमा करने और यह बताने के लिए कहा गया कि क्या वे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि यदि वे CCS (CCA) नियम, 1965 के नियम 14 का पालन करने में विफल रहते हैं, तो नियम 14(20) के तहत उनके खिलाफ 'एकतरफा' (ex parte) जांच की जा सकती है। CO को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे इस कार्यालय से वे सभी दस्तावेज और CCTV फुटेज ले लें, जिन पर आरोप आधारित हैं, लेकिन वे इन्हें लेने नहीं आए। इसलिए, DA (डिसिप्लिनरी अथॉरिटी) ने पत्र संख्या 1-68/2025-26/IWST/Estt./4146 (दिनांक 26-03-2026) के माध्यम से, ये सभी दस्तावेज और CCTV फुटेज के अंश CO के बिहार वाले पते पर स्पीड पोस्ट से भेज दिए। साथ ही, 26-03-2026 को ईमेल द्वारा भी ये दस्तावेज भेजे गए, जो उन तक पहुँच गए। हालाँकि, CO निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना कोई भी लिखित बचाव पक्ष जमा करने में विफल रहे।

<u>आरोप का सामना कर रहे अधिकारी का बचाव</u>

4. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी आरोप ज्ञापन (चार्ज मेमोरेंडम) के जवाब में, CO (आरोप का सामना कर रहे अधिकारी) ने निर्धारित समय-सीमा और 26-03-2026 को दी गई अंतिम समय-वृद्धि के बावजूद, बचाव में कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया।

<u>जांच की प्रक्रिया और जांच रिपोर्ट</u>

5. और चूँकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने निर्देशों का लगातार पालन न किए जाने को गंभीरता से लिया है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस मामले में श्री सुनील कुमार यादव के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। तदनुसार, श्री सुनील कुमार यादव के विरुद्ध एकपक्षीय (Ex-Parte) कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया और 12.05.2026 के ज्ञापन के माध्यम से नियम 14 के तहत जांच के आदेश दिए गए। दिनांक 18.05.2026 के आदेशों द्वारा, डॉ. एन. पलानीकांत, IFS (प्रमुख, विस्तार प्रभाग) को जांच अधिकारी (IA) और श्री प्रकाश वी. को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (PO) नियुक्त किया गया।

6. और चूँकि, 12.06.2026, 23.06.2026 और 06.07.2026 को होने वाली सुनवाइयों के लिए नोटिस, CO के रिकॉर्ड में दर्ज पतों (गृह नगर और बेंगलुरु) पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए थे। साथ ही, skyadav@icfre.org और sy9102174411@gmail.com पर ईमेल भी भेजे गए थे। इनमें से कोई भी नोटिस 'डिलीवर न होने' (undelivered) की स्थिति में नहीं आया। इन नोटिसों में CO को यह भी बताया गया था कि उन्हें अपना बचाव करने के लिए किसी 'डिफेंस असिस्टेंट' (सहायक) की मदद लेने का अधिकार है। CO किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद 06.07.2026 के आदेश के तहत, जांच अधिकारी (IA) ने नियम 14(20) के अंतर्गत 'एक-पक्षीय' (ex parte) कार्यवाही आगे बढ़ाई। इसके बाद IA ने साक्ष्य दर्ज किए। हर तारीख की सूचना CO को भेजी गई थी। विभाग का पक्ष 'एग्जिबिट' (प्रमाण) 1 से 18 के माध्यम से और तीन गवाहों—डॉ. एच.आर. प्रबुद्ध (IFS, कार्यालय प्रमुख), श्रीमती टी. विजयकुमारी (सेक्शन ऑफिसर) और श्रीमती श्रीलता ए. (सहायक, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन)—के बयानों के जरिए रखा गया, जैसा कि

जांच रिपोर्ट के पैरा 5 में उल्लेखित है। CO को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में SFSL रिपोर्ट (एग्जिबिट 17) भी शामिल थी, और उन्होंने कभी भी इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले व्यक्ति से पूछताछ (examine) करने की मांग नहीं की।

7. चूँकि एकपक्षीय (ex parte) कार्यवाही आगे बढ़ाने के बाद भी, जांच प्राधिकारी (IA) ने संबंधित अधिकारी (CO) को और अवसर दिए। नियम 14(18) के तहत, यदि सरकारी कर्मचारी ने स्वयं से कोई बयान नहीं दिया है, तो जांच प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह उससे उन परिस्थितियों के बारे में सामान्य पूछताछ करे जो साक्ष्यों में उसके खिलाफ सामने आई हैं, ताकि वह उनका स्पष्टीकरण दे सके। एक-तरफा आदेश जारी होने पर भी यह सुरक्षा उपाय खत्म नहीं होता; इसका उद्देश्य आरोपी अधिकारी को उसके खिलाफ दर्ज साक्ष्यों पर जवाब देने का एक अंतिम मौका देना है। तदनुसार, नियम 14(18) के तहत एक सामान्य पूछताछ 24.08.2026 को तय की गई थी, जिसमें CO उपस्थित नहीं हुआ और उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर ली गई। इसके बाद, नियम 14(19) के प्रावधानों के अनुसार, IA ने CO को साक्ष्यों पर और PO (अभियोजन अधिकारी) के 28.07.2026 के लिखित संक्षिप्त विवरण (जिसकी प्रति 29.07.2026 को भेजी गई थी) पर अपना लिखित पक्ष रखने के लिए 24.08.2026 से सात दिनों का समय दिया। 31.08.2026 के एक पत्र के माध्यम से, उसे दस्तावेजों की जांच करने, दस्तावेज और गवाह पेश करने, अपने खिलाफ
बनी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने और PO के लिखित विवरण का जवाब देने के लिए सात दिनों का एक अंतिम अवसर और दिया गया। CO ने निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद, IA ने जांच को पूर्ण मान लिया और नियम 14(23) के तहत अपनी रिपोर्ट 29.09.2026 को सौंप दी।

8. और चूँकि, संभावनाओं के प्रबल आधार पर, IA ने यह पाया कि: (i) रोल नंबर IWST/FG/243 संबंधित अधिकारी (CO) की उम्मीदवारी से जुड़ा था और इसी के परिणाम स्वरूप उसका चयन और वन रक्षक (Forest Guard) के पद पर नियुक्ति हुई; (ii) जॉइनिंग के समय दिए गए दस्तावेज और HSSCE के नमूने, CO की विश्वसनीय और मानक लिखावट हैं; (iii) SFSL (राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) ने पाया कि परीक्षा रिकॉर्ड में मौजूद लिखावट और CO की मानक लिखावट अलग-अलग व्यक्तियों की हैं; ये अंतर काफी गहरे हैं और इन्हें सामान्य भिन्नता या जानबूझकर बदली गई लिखावट नहीं माना जा सकता; (iv) CCTV साक्ष्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं; और (v) रिकॉर्ड पर मौजूद बचाव पक्ष का तर्क इन साक्ष्यों को गलत साबित करने में विफल रहता है। IA ने दर्ज किया कि CO के शामिल न होने को न तो कोई स्वीकारोक्ति माना गया और न ही कोई सबूत, और 'आरोप के अनुच्छेद' (Article of Charge) को **'सिद्ध' (PROVED)** माना गया।

9. और चूँकि, जाँच रिपोर्ट की एक प्रति CO को पत्र संख्या 1-68/2025-26/IWST/Estt/2301 (दिनांक 06.10.2026) के माध्यम से भेजी गई थी, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष (representation) रखने का अवसर दिया गया था। यह पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा गाँव देजपुर, डाकघर फरीदपुर, थाना हुसैनगंज, जिला सिवान, बिहार-841231 के पते पर भेजा गया था। इसके अलावा, 06.10.2026 को निदेशक की ई-मेल आईडी (dir_iwst@icfre.org) से skyadav@icfre.org और sy9102174411@gmail.com पर ई-मेल भी भेजा गया था। ई-मेल न पहुँचने (delivery failure) की कोई सूचना नहीं मिली। दिनांक 19.10.2026 की पोस्टल ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राप्तकर्ता वहाँ मौजूद नहीं है और दिए गए पते पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता है; इसलिए, स्पीड पोस्ट बिना डिलीवर हुए ही बिहार वाले पते से वापस आ गया। कंसाइनमेंट भेजे जाने की तारीख [07-10-2026] से गणना करने पर, 15 दिनों की अवधि 21.10.2026 को समाप्त हो गई। इस अवधि के दौरान या उसके बाद, इस आदेश की तारीख तक, CO की ओर से कोई पक्ष (representation) प्राप्त नहीं हुआ और न ही समय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया गया।

<u>अनुशासनात्मक प्राधिकारी (Disciplinary Authority) द्वारा विचार</u>

10. और चूँकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी (DA) ने ज्ञापन (Memorandum) और उसके अनुलग्नकों (Annexures), आदेश पत्रों और जाँच की कार्यवाही, साक्ष्यों और बयानों, PO (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) के लिखित संक्षिप्त विवरण, तथा जाँच रिपोर्ट का भली-भाँति अवलोकन किया है। DA ने उपलब्ध सामग्री पर स्वयं विचार किया है और केवल जाँच अधिकारी (IA) के निष्कर्षों यथावत स्वीकार नहीं किया है।

10.1 **प्रक्रिया का अनुपालन:** DA ने पाया कि सभी अनुलग्नकों (Annexures) के साथ ज्ञापन (Memorandum) CO को सौंप दिया गया था, और अनुलग्नक III में सूचीबद्ध दस्तावेज़ उन्हें उपलब्ध कराए गए थे; जांच के नोटिस आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद सभी पतों पर भेजे गए थे, साथ ही skyadav@icfre.org और sy9102174411@gmail.com पर ईमेल भी किए गए थे; बार-बार उपस्थित न होने पर एकतरफा (ex parte) कार्यवाही करना नियम 14(20) के अंतर्गत था। IA ने साक्ष्यों का उनके गुण-दोष के आधार पर परीक्षण किया और यह दर्ज किया कि साक्ष्य दर्ज होने के बाद भी CO को कई और अवसर दिए गए थे (नियम 14(18) के तहत पूछताछ, लिखित संक्षिप्त विवरण, और दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने, दस्तावेज़ व गवाह पेश करने तथा परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अंतिम अवसर)। इसके बाद, जांच रिपोर्ट की एक प्रति CO को भेजी गई और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन CO ने दिए गए किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठाया। साथ ही, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि CO के साथ कोई अन्याय हुआ हो।

10.2 **साक्ष्यों का मूल्यांकन:** यह कार्यवाही विभागीय है, न कि कोई आपराधिक मुकदमा। इसमें साक्ष्य के कड़े नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि क्या निष्कर्ष विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है, न कि केवल संदेह पर; इसके लिए 'संभावनाओं की प्रबलता' (preponderance of probabilities) के मानक का उपयोग किया जाता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी (Disciplinary authority) का मूल्यांकन इस प्रकार है:

10.3 **CO (संबंधित अधिकारी), उम्मीदवारी और नियुक्ति के बीच संबंध:** भर्ती अधिसूचना (Ex. 3), परिणाम शीट (Ex. 4), नियुक्ति प्रस्ताव (Ex. 9), जॉइनिंग लेटर (Ex. 10) और घोषणा-पत्र (Ex. 11) मिलकर एक ऐसी अटूट श्रृंखला बनाते हैं, जो दर्शाती है कि रोल नंबर IWST/FG/243 के परिणाम के आधार पर ही संबंधित व्यक्ति (CO) का चयन हुआ और उसे फॉरेस्ट गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया।

10.4 **मानक लेखन:** सेवा में शामिल होते समय CO द्वारा दिए गए जॉइनिंग लेटर और घोषणा-पत्र, HSSCE (परीक्षा) के नमूनों से स्वतंत्र हैं। HSSCE के ये नमूने Ex. 5 में दिए गए आदेशों के तहत तब लिए गए थे, जब CO को कार्यालय प्रमुख (Head of Office) के पास रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था (Ex. 6)। कार्यालय प्रमुख ने इस प्रक्रिया के बारे में गवाही भी दी है। जब इन दस्तावेजों को SFSL (राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) को सौंपा गया, तो उन्होंने पाया कि HSSCE के लेखन और जॉइनिंग के समय के लेखन (जॉइनिंग लेटर) एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। अलग-अलग समय और परिस्थितियों में तैयार किए गए इन दस्तावेजों के बीच यह समानता, मानक नमूनों को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इसके विपरीत ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह लगे कि ये लिखावटें CO की नहीं हैं।

10.5 **जांच की जाने वाली लिखावटें:** रोल नंबर IWST/FG/243 के लिए अटेंडेंस शीट, प्रश्न-उत्तर पुस्तिका और रफ शीट परीक्षा के आधिकारिक रिकॉर्ड हैं। SFSL ने पाया कि ये सभी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं, और यह व्यक्ति उन दस्तावेजों का लेखक नहीं है जिनसे इनकी तुलना की गई थी। इनमें पाए गए अंतर "मूलभूत प्रकृति के हैं, जो सामान्य बदलाव या जानबूझकर छिपाने की कोशिश के दायरे से कहीं बाहर हैं"। यह राय तर्कपूर्ण है और सभी संबंधित दस्तावेजों की तुलना पर आधारित है। SFSL की रिपोर्ट CO को दी गई थी। CO को दस्तावेज और गवाह पेश करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रिपोर्ट को लिखने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने की मांग नहीं की।

10.6 **परीक्षा हॉल नंबर LHC209 के सीसीटीवी साक्ष्य और तस्वीरें :** परीक्षा हॉल नंबर LHC209 (Ex. 15) की फुटेज, 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' की धारा 63(4) के तहत एक प्रमाण-पत्र के साथ पेश की गई थी। इस प्रमाण-पत्र पर हार्ड डिस्क के कस्टोडियन (रख-रखाव करने वाले) और एक विशेषज्ञ के हस्ताक्षर थे। सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट की गवाही से पता चलता है कि हार्ड डिस्क को परीक्षा केंद्र से लिया गया था, आधिकारिक कस्टडी में रखा गया था और इसकी एक कॉपी 'Ex. 15' के रूप में तैयार की गई थी। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव का कोई संकेत नहीं मिला। IA (जांच अधिकारी) ने फुटेज देखी और जांच में सामने आई सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि - "CCTV साक्ष्य, फोरेंसिक निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। इसके अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने वाला व्यक्ति (जिसने संबंधित उम्मीदवारी के तहत परीक्षा दी थी) श्री सुनील कुमार यादव नहीं था।" DA (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) भी IA के इस निष्कर्ष से सहमत हैं। DA इस फुटेज को फोरेंसिक निष्कर्ष की पुष्टि करने वाले एक सबूत के रूप में देखते हैं, न कि उस निष्कर्ष के एकमात्र आधार के रूप में।

10.7 **समग्र प्रभाव:** यह उम्मीदवारी संबंधित कर्मचारी (CO) की है; इसी उम्मीदवारी के परिणाम के आधार पर उसे नौकरी मिली; फोरेंसिक विशेषज्ञ के अनुसार, परीक्षा में उत्तर किसी अन्य व्यक्ति ने लिखे थे; और CCTV और फोटोग्राफी साक्ष्य भी स्वतंत्र रूप से इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। ये सभी परिस्थितियां एक-दूसरे से मेल खाती हैं और एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। संभावनाओं के आधार पर, DA इस बात से संतुष्ट है कि 22.01.2023 को रोल नंबर IWST/FG/243 के विरुद्ध आयोजित परीक्षा में CO के बजाय कोई अन्य व्यक्ति शामिल हुआ और उसने परीक्षा दी। इससे केवल यही तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि यह प्रतिरूपण (impersonation) या तो CO द्वारा करवाया गया था, या फिर उसकी मिलीभगत से किया गया था। किसी भी स्थिति में, CO ने एक प्रतियोगी परीक्षा में किसी अन्य व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त चयन का लाभ उठाया और उसे अपने पास बनाए रखा, जो कि स्वयं भर्ती प्रक्रिया के साथ एक धोखाधड़ी है। अतः CO के खिलाफ आरोप साबित हो गया है।

11. **CO के तर्कों पर विचार:** और चूँकि, DA ने यह सत्यापित कर लिया है कि CO ने 'चार्ज मेमोरेंडम' में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना लिखित बचाव बयान जमा नहीं किया है। जाँच की पूरी प्रक्रिया के दौरान CO को दिए गए किसी भी अवसर का उसने उपयोग नहीं किया है।

12. **निष्कर्ष:** और चूँकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी (DA) को जांच प्राधिकारी (IA) के निष्कर्षों से कोई असहमति नहीं है ये जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर आधारित हैं और इनमें कोई त्रुटि या अनुचितता नहीं है। DA ने स्वतंत्र रूप से मामले का आकलन किया है और पाया है कि **आरोप का अनुच्छेद I (Article I) सिद्ध हो गया है।** इसके अनुसार, संबंधित कर्मचारी (CO) ने 22.01.2023 को आयोजित भर्ती परीक्षा में अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति (impersonator) को बैठाया और उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर ICFRE-IWST में वन रक्षक (Forest Guard) के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। इस आचरण के माध्यम से, CO पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहा है और सेवा आचरण किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय तथा ऐसा आचरण किया है जो CCS (आचरण) नियमावली के नियम 3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(iii), 3(1)(vi) और 3(1)(xviii) का उल्लंघन है।

और चूँकि, यह देखा गया है कि जाँच रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में, आरोप के विवरण (Article of Charge) का सारांश देते समय, नियमों 3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(vi) और 3(1)(xviii) को तो शामिल किया गया है, लेकिन नियम 3(1)(iii) को छोड़ दिया गया है, जो कि मेमोरेंडम में मौजूद है। यह चूक अनजाने में हुई है। जाँच अधिकारी (IA) का अंतिम निष्कर्ष यह है कि आरोप के विवरण में लगाए गए कदाचार (misconduct) साबित हो गए हैं, और इस प्रकार संबंधित अधिकारी (CO) मेमोरेंडम में बताए गए CCS (आचरण) नियम, 1964 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं; इन प्रावधानों में नियम 3(1)(iii) भी शामिल है। यह चूक केवल रिपोर्ट में दिए गए आरोपों के सारांश में हुई है। जाँच अधिकारी का निष्कर्ष मेमोरेंडम में उल्लिखित सभी नियमों पर लागू होता है, जिसमें नियम 3(1)(iii) भी शामिल है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी (CO) को मेमोरेंडम से पहले ही थी। इसलिए, इस चूक से जाँच अधिकारी के निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी (DA) की उस निष्कर्ष के साथ सहमति में नियम 3(1)(iii) भी शामिल है।

<u>दंड</u>

13. उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह कदाचार अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। CO ने अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति से प्रतियोगी परीक्षा दिलवाकर सरकारी नौकरी प्राप्त की। इसने भर्ती प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी की, ईमानदार उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर से वंचित किया, और सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों पर किए जाने वाले भरोसे को तोड़ा है। सत्यनिष्ठा लोक सेवा का आधार होती है, और जब सेवा में प्रवेश ही धोखाधड़ीपूर्ण हो, तो ऐसे कर्मचारी का सेवा में बने रहना न तो आचरण नियमों के अनुरूप है और न ही जनहित में है। धोखाधड़ी से की गई नियुक्ति को समय बीतने या संतोषजनक सेवा देने के आधार पर नियमित नहीं किया जा सकता; और जो व्यक्ति धोखाधड़ी के जरिए नौकरी में है, उसे बनाए रखना जनहित के विरुद्ध होगा।

14. चूंकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने संबंधित कर्मचारी (CO) के सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया है। सिद्ध कदाचार की गंभीरता को देखते हुए और आनुपातिकता के सिद्धांत (बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, (1995) 6 SCC 749) को लागू करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का यह मानना है कि कोई भी इससे कम दंड पूरी तरह से अपर्याप्त

होगा, और इसलिए सेवा से बर्खास्तगी (dismissal from service) का दंड दिया जाना उचित है। CCS (CCA) नियम, 1965 के नियम 15(4) के तहत, संबंधित कर्मचारी को दंड के संबंध में अपना पक्ष रखने का कोई और अवसर देना आवश्यक नहीं है।

**आदेश**

15. अतः, CCS (CCA) नियम, 1965 (जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 24-7-1991 को हुई पहली बैठक और अधिसूचना संख्या 58-21/55/2017-ICFRE, दिनांक 25-1-2018 के माध्यम से ICFRE पर लागू होते हैं) के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में, ICFRE-इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु के निदेशक, उक्त नियमों के नियम 11(ix) और 15 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन रक्षक (Forest Guard) श्री सुनील कुमार यादव को 'सेवा से बर्खास्त' (Dismissal from Service) करने का दंड देते हैं। इस आदेश के जारी होने की तिथि से, यह दंड भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

CO दिनांक 19.01.2026 से निलंबन (सस्पेंशन) में हैं। बर्खास्तगी को देखते हुए, निलंबन की अवधि को ड्यूटी नहीं माना जाएगा। CO को देय कोई भी अन्य राशि, संस्थान को देय किसी भी राशि के समायोजन (एडजस्टमेंट) के अधीन, अकाउंट्स सेक्शन द्वारा नियमों के अनुसार निपटा दी जाएगी।

यह आदेश किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जिसमें राशि की वसूली या आपराधिक कार्यवाही शामिल है, जिसे संस्थान या ICFRE कानून के तहत कर सकते हैं।

यदि CO (संबंधित अधिकारी) इस आदेश से असंतुष्ट है, तो वह CCS (CCA) नियम, 1965 के भाग V (अपील) के अनुसार, आदेश प्राप्त होने के **45 दिनों** के भीतर महानिदेशक, ICFRE के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

05/11/26

निदेशक एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी
ICFRE-इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु

संलग्न: परिशिष्ट।

**नोट: यह सूचित किया जाता है कि यदि हिंदी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।**

दूरभाष/Phones:कार्यालय/Office: 080-23341731(निदेशक/Director);080-22190100, 200(सामान्य/General)
ई-मेल/e-mail: dir_iwst@icfre.org, वेबसाईट/Website: http://iwst.icfre.gov.in

## APPENDIX

(Ex. 1). Letter No. 63-31/2016-ICFRE PT II dated 07-08-2025 from Secretary, ICFRE Regarding verification of documents of recently recruited employees.

(Ex. 2). Letter No. 63-31/2016-ICFRE PT II dated 09-10-2025 regarding phased verification of documents of recently recruited employees.

(Ex. 3). Common Recruitment Notification No. 1-11/2019-20/IWST/Estt./5561 dated 10-02-2022 for recruitment to the post of Forest Guard.

(Ex. 4). Result sheet relating to the Forest Guard recruitment written examination held on 24-04-2022.

(Ex. 5). Orders recorded in the note sheet for conducting an exercise for obtaining authentic handwriting/signature specimens for verification.

(Ex. 6). Circular No. 1-11/2019-20/IWST/Estt./1458 dated 11-08-2025 directing the concerned employee to report to the Head of Office.

(Ex. 7). Orders recorded in the note sheet for verification of handwriting/signatures through the State Forensic Science Laboratory (SFSL), together with the covering communication to SFSL.

(Ex. 8). Original documents pertaining to the Handwriting and Signature Specimen Collection Exercise (HSSCE).

(Ex. 9). Offer of appointment issued to Shri. Sunil Kumar Yadav vide No. 1-12/2023-24/ IWST/Estt./1110 dated 21-07-2023.

(Ex.10). Joining letter of Shri Sunil Kumar Yadav dated 05-09-2023.

(Ex.11). Declaration furnished by Shri. Sunil Kumar Yadav at the time of joining.

(Ex.12). Attendance sheet pertaining to Roll No. IWST/FG/243 in the written examination.

(Ex.13). Questing and Answer Booklet pertaining to Roll No. IWST/FG/243.

(Ex.14). Rough sheets pertaining to Roll No. IWST/FG/243.

(Ex.15). CCTV footage relating to Examination Hall No. LHC209, produced in electronic form along with the certificate furnished in support of the electronic record.

(Ex.16). Photographs of the Examination Hall No. LHC209 produced in electronic form along with the certificate furnished in support of the electronic record.

(Ex.17). State Forensic Science Laboratory Report No. FSL/FLMS/QD/519/2025 dated 10-12-2025.

(Ex.18). Application dated 15-06-2020 submitted by Shri. Sunil Kumar Yadav for the post of Forest Guard with his signature in declaration form and signature in last page of said application.